

1[प्ररूप संख्या 10 खघ

(नियम 18 कख देखें)

[ई-प्ररूप]

आय-कर अधिनियम, 1961 की उपधारा (1क) के खंड (i) और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (8) के अधीन रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा फाइल की जाने वाली विशिष्टियों का विवरण

भाग क

रिपोर्ट करने वाले के, जो दान की रिपोर्ट करता है, ब्यौरे											
1	पैन	क	ख	ग	घ	ड	1	2	3	4	च
2	रिपोर्टिंग अवधि	व	व	व	व	व	—	व	व		व

²भाग ख

दानदाताओं और दान का विवरण

क्रम सं.	पूर्व पावती सं.	दाता की विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	अनुभाग कोड	विशिष्ट रजिस्ट्री संख्या (यू आर एन)	विशिष्ट रजिस्ट्री संख्या जारी करने की तारीख	दाता का नाम	दाता का पता	दान का प्रकार	प्राप्ति की पद्धति	दान की रकम (भारतीय रुपए में)]

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____ पूरी तरह से घोषणा करता हूँ कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार है।

मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस प्रमाणपत्र को _____ के रूप में मेरी क्षमता में बनाना और मैं इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम भी हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्या _____ यह है।

हस्ताक्षर]

²[प्ररूप सं. 10खघ भरने के लिए टिप्पण]

- यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, रिपोर्ट करने वाले उसी व्यक्ति द्वारा एकाधिक प्ररूप 10कघ फाइल किए जा सकेंगे।
- रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा फाइल की गई नवीनतम आय-कर विवरणी के अनुसार, विवरण फाइल करने वाले रिपोर्टिंग व्यक्ति का पता और संपर्क ब्यौरे स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे और यदि कोई परिवर्तन होता है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को ब्यौरे में परिवर्तन करने का एक विकल्प प्रदान किया जाएगा।
- धारा कोड में, निम्नलिखित विकल्पों में से वह धारा, जिसके अधीन दाता को दान के लिए कटौती दावा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, भरनी आवश्यक है :

- (क) धारा 80छ
(ख) धारा 35(1)(i)क
(ग) धारा 35(1)(ii)
(घ) धारा 35(1)(iii)

- "दाता की विशिष्ट पहचान संख्या" में, निम्नलिखित में से एक भरा जाएगा:

क. यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध हैं, तो उनमें से एक अनिवार्य रूप से भरा जाए और निम्नलिखित आईडी कोड भरें :

पहचान का प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

ख. यदि पैन या आधार उपलब्ध नहीं हैं, तो निम्नलिखित में से एक भरा जाए :

पहचान का प्रकार	कोड
देश की करदाता पहचान संख्या, जहां व्यक्ति निवास करता है;	3

- आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 1.4.2021 से अंतःस्थापित।
- आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 9.5.2022 से प्रतिस्थापित।

पासपोर्ट संख्या ;	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
चालन अनुज्ञप्ति संख्या	6
राशन कार्ड संख्या	7

5. "दान प्रकार" में, निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना आवश्यक है :

- (क) कोरपस
- (ख) विनिर्दिष्ट अनुदान
- (ग) अन्य

6. "प्राप्ति का ढंग" में, निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना आवश्यक है :

(क)	नकद रूप में
(ख)	वस्तु रूप में
(ग)	इलेक्ट्रॉनिक ढंग से, जिसमें पाने वाले के खाते में देय चैक/ड्राफ्ट भी है
(घ)	अन्य

7. ऐसे दाता के मामले में, जिसने ऐसे दान दिए हैं, जो भिन्न-भिन्न धाराओं के अधीन पात्र हैं या जो भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं या भिन्न-भिन्न ढंगों में हैं, ऐसे प्रत्येक